

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलिफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियमावली, 1956 के अन्तर्गत  
संसद सदस्य के लिए दूसरे मोबाइल कनेक्शन हेतु आवेदन

प्रेषक

\_\_\_\_\_, संसद सदस्य

सेवा में

मुख्य महाप्रबंधक (डब्ल्यू एस)  
एम.टी.एन.एल., दिल्ली डॉल्फिन  
नई दिल्ली - 110003

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक  
भारत संचार निगम लिमिटेड  
स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्भा रोड  
नई दिल्ली - 110001

अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा के माध्यम से

महोदय,

1. कृपया एम.टी.एन.एल., दिल्ली/मुम्बई (जो लागू न हो उसे काट दें) से राष्ट्रीय रोमिंग के साथ दूसरा मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें

अथवा

कृपया \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ बी.एस.एन.एल. के राज्य टेलिफोन जिले से राष्ट्रीय रोमिंग के साथ दूसरा मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

अथवा

मेरे मौजूदा एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. के पोस्ट पेड कनेक्शन जिसका नम्बर \_\_\_\_\_ है (जो मेरे ही नाम पर है, किसी अन्य के नाम पर नहीं) को दिनांक \_\_\_\_\_ से संसद सदस्य के कोटे के रूप में परिवर्तित कर दें एवं इसमें राष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं।

2. मैं उपर्युक्त मोबाइल कनेक्शन के संबंध में राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा नियमों के अंतर्गत संदेय राशि के अतिरिक्त दूरसंचार एवं एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की सभी देय राशियों की पूर्ण अदायगी का वचन देता हूँ।

(संसद सदस्य)

परिचय पत्र संख्या \_\_\_\_\_

(दो प्रतियों में भरा जाएगा)

आवास और टेलिफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियमावली, 1956 के अन्तर्गत  
संसद सदस्य के दूसरे मोबाइल कनेक्शन हेतु आवेदन

प्रेषक

\_\_\_\_\_, संसद सदस्य

सेवा में

मुख्य महाप्रबंधक (डब्ल्यू एस)  
एम.टी.एन.एल., दिल्ली डॉल्फिन  
नई दिल्ली - 110003

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  
भारत संचार निगम लिमिटेड  
स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्भा रोड  
नई दिल्ली - 110001

**अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा के माध्यम से**

महोदय,

1. कृपया राष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा सहित एम.टी.एन.एल., दिल्ली/मुम्बई (जो लागू न हो, उसे काट दें) से दूसरा मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें

अथवा

कृपया \_\_\_\_\_ राज्य से भारत संचार निगम लिमिटेड के \_\_\_\_\_ दूरसंचार जिला से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दूसरा मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

अथवा

मेरे वर्तमान एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. के पोस्ट पेड कनेक्शन जिसका नम्बर \_\_\_\_\_ है (जो केवल मेरे नाम पर चालू है, न कि किसी अन्य के नाम पर) को दिनांक \_\_\_\_\_ से एमपी कोटे में तब्दील कर दिया जाए और इस पर राष्ट्रीय रोमिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. मैं, उपर्युक्त मोबाइल कनेक्शन के संबंध में नियमानुसार राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा देय राशि से अधिक संचार एवं एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने का वचन देता हूँ।

(संसद सदस्य के हस्ताक्षर)

परिचय पत्र संख्या \_\_\_\_\_